कार्यालयः—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—माध्य/गुण एवं प्रशि अनु/गुणवत्ता/61186/2024—25/पार्ट—9 दिनांकः—यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।

विषयः— विज्ञान भारती द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन (VVM) ऑनलाईन प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः— विज्ञान भारती राजस्थान के पत्रांकः— 07.08.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थियों का विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने एवं देशभर से प्रतिभाओं की खोज के उद्देश्य से करवाई जाने वाली ऑनलाईन प्रतिभा खोज विद्यार्थी विज्ञान मंथन (VVM) परीक्षा आयोजित की जानी है।

इसमें सफल विद्यार्थियों को प्रमाण—पत्र, छात्रवृत्ति एवं राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही विद्यालय, शिक्षक एवं समन्वयकों को भी प्रशंसा—पत्र एवं सम्मान प्रदान किए जाते हैं।

राजस्थान राज्य से प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं, किंतु इसकी पहुँच शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में समान रूप से सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अतः इस संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः—

1. **प्रचार—प्रसारः—**
   - विद्यार्थी विज्ञान मंथन (VVM) कार्यक्रम का प्रचार—प्रसार विद्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से किया जाना सुनिश्चित करावे।
   - राज्य के शिक्षा पोर्टल (जैसे शाला दर्पण, RBSE Portal) पर VVM संबंधी सूचना, पंजीयन लिंक (www.vvm-org.in) पर पोस्टर/ब्रोशर साझा किया जाना सुनिश्चित करावे।
2. **विद्यार्थियों की सहभागिताः—**
   - सभी प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय के विद्यार्थी अधिकतम संख्या में VVM में भाग लेंगे।
   - प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यालय से VVM में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या की सूचना जिला/ब्लॉक स्तर पर साझा करे ताकि प्रगति की निगरानी की जा सके।
3. **आर्थिक सहयोगः—**
   - राजकीय विद्यालयों के छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु विद्यालयों को अधिकृत किया जाता है कि वे अपने विद्यालय में चल रही योजनाओं (जैसे — आविष्कार अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, विद्यालय प्रबंध समिति) से उपलब्ध निधि के अंतर्गत कम से कम 5 विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा करायें।
   - यह पहल भारतीय विज्ञान संस्कृति को विद्यार्थियों तक पहुँचाने में सहायक होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.09.04 13:00:47 IST
Reason: Approved

अतः के उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में से अधिक से अधिक संख्या में उक्त परीक्षा का आयोजन कराते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग की जानी सुनिश्चित की जावे।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति राज्य परि निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति राज्य परि निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.09.04 13:00:47 IST
Reason: Approved